इकाई–8

जिला स्तर पर समाज कल्याण प्रशासन
(Social Welfare Administration at District Level)

पाठसंरचना(Lesson Structure)

8.0 उद्देश्य(Objective)

8.1 परिचय(Introduction)

8.2 जिलास्तरपरप्रशासनिकढांचा(Administrative Structure at Dirstrict Level)

8.3 जिलास्तरीयसमाजकल्याणकेकार्य(Social Welfare work at District Level)

8.4 स्थानीयस्तरपपरसामाजिकप्रशासन(Social Administrattion at Socal Sevel)

8.5 साराशं(Conclusion)

8.6 अभ्यासकेप्रश्न(Questions for Exercise)

8.7 प्रस्तावितपाठ (Suggested Readings)

8.0 उद्देश्य(Objective)

राज्य स्तर पर सामाजिक प्रशासन के कार्य को समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। अत: जिला स्तर पर भी समाज कल्याण प्रशासन कल्याण के कार्यों को समाज कल्याण विभाग द्वारा ही संचालित किया जाता है। अत: इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर किये गये समाज कल्याण के कार्यों की जानकारी देना है।

8.1 परिचय(Introduction)

प्रशसकीय कार्यों तथा कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये देश को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में ये इकाइयाँ सरकार, जनपद तथा जिला के नाम से जानी जाती है।

समाज कल्याण के कार्य को पूरे राज्य में संचालित करने के लिये जिला स्तर पर भी कल्याण के कार्यों के चलाने के लिये कल्याण विभाग द्वारा समुचिम प्रबंध किये जाते हैं। अत: राज्य स्तर पर सामाजिक प्रशासन को सही दिशा देने के लिये प्रत्येक जिलों में भी कल्याण के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना आवश्यक है। क्योंकि जबतक जिले में इस कार्य को सही तरीके से नहीं चलाया जायेगा तबतक राज्य में यह सफल नहीं हो सकता है। अत: जिला स्तर पर भी समाज कल्याण प्रशासन की जानकारी आवश्यक है।

जितने भी कार्यक्रम चलाये जाते हैं जैसे महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, शिशु कल्याण, अनाथालय, पालनागृह, मन्दुबु□ बालक गृह, वृ□ावस्था पेंशन, कुष्टगृह योजना, वृ□ एवं अकाल गृह, समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना इत्यादि जितने भी कार्य है वे राज्य सरकार जिलों में भी कार्यान्वित करती है। अत: बिना जिला स्तर पर कार्य किये राज्य स्तर पर कार्य नहीं कहा जा सकता।

8.2 *जिलास्तरपरप्रशासनिकढांचा*(Administrative Structure at District Level)

सन् 1776 में इस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार का एक निश्चित क्षेत्र कलकत्ता के दीवान के सन्दर्भ में स्पष्ट करते हुये इसे डिस्ट्रिक्ट (District) नाम दिया। इसका वास्तविक अर्थ होता है—न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बना प्रदेश। ब्रिटिश शासन के दौरान ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई बन गया। आज भारत में जिला, विकास तथा शान्ति व्यवस्था के लिये, एक महत्वपूर्ण इकाई बन गई है। जिला स्तरीय इस प्रशासनिक संरचना का महत्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ा है—

(1) जिला प्रशासन तथा जिला कलक्टर पद की छवी भारतीय जनता के दिमाग में परम्परागत श्रेष्ठता के रूप में अंकित है।

(2) भौगोलिक दृष्टि से जिला न तो बुत बड़ा और न ही बहुत छोटा क्षेत्र होता है। इस कारण जिला प्रशासन क्षेत्रीय स्तर तक अपनी पहुँच बनाये रखता है।

(3) जिला स्तर पर राज्य सरकार के अधिकांश विभागों के अधिकारी उपलब्ध हो जाते हैं जो क्षेत्र तथा राज्य की राजधानी के बीच समन्वय बनाते हैं।

(4) जिला मुख्यालय तक आम आदमी का आना जाना आसानी से होता रहता है। अत: जन कल्याण के कार्यों को भी आसानी से सभी तबके के लोगों के बीच पहुँचाई जा सकती है।

(5) एतिहासिक निरन्तरता के साथ-साथ जिला एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान तथा अपनत्व का बोध कराता है।

इस प्रकार राज्य राज्य स्तर पर समाज कल्याण में शासक की संरचना को इस चार्ट द्वारा समझा जा सकता है।

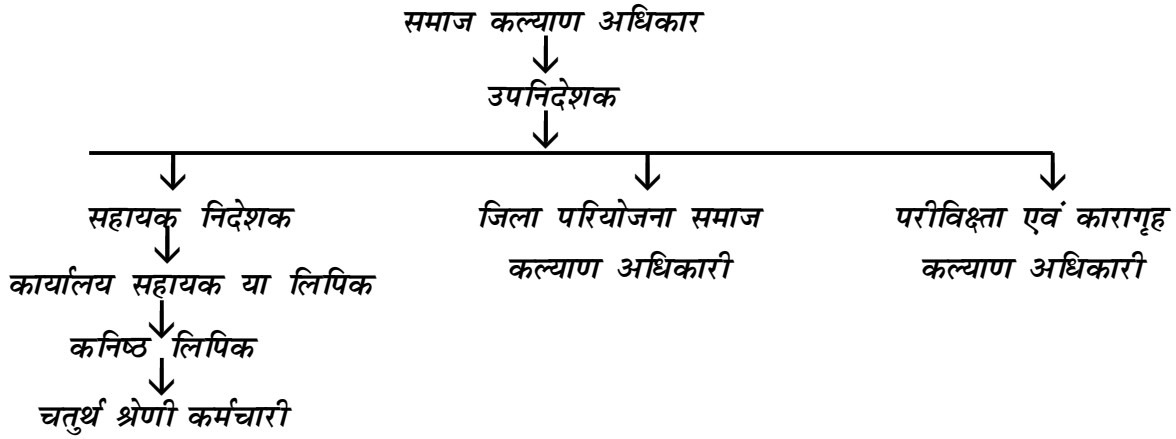

निदेशालयों के अधीन प्रत्येक जिले में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा प्रत्येक खण्ड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद स्वीकृत हैं, जिनके द्वारस योजनाओं के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, निगरारी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

राज्य बाल संरक्षण इकाई के अधीन प्रत्येक जिला में एक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई का पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा बाल संरक्षण अधिकार एवं विधि विवादित बच्चों के हितों की रक्षा हेतु समन्वयक का कार्य किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला में निदेशालय के अधीन एक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का पद स्वीकृत है, जिनके द्वारा निदेशालय की योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

इस प्रकार यदि देखा जाये तो जिलों में समाज कल्याण विभाग का मुखिया उप निदेशक होता है। जिला स्तरीय समाज कल्याण अधिकारियों की भर्ती उस राज्य के लोक सेवा आयोग से की जाती है।

समाज कल्याण विभाग की यह जिला स्तरीय प्रशासनिक संरचना विभाग के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी बनाये गये हैं। विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा ही किया जाता है।

जिला स्तरीय समाज कल्याण प्रशासनिक संरचना को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं–

8.3 *जिलास्तरीयसमाजकल्याणकेकार्य*(Social Welfare work at District Level)

जिला स्तर पर समाज कल्याण के निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं–

(1) महिला, बालक, वृ□, नि:शक्तजन, नशेड़ी, बाल अपराधी तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित समाज कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना;

(2) विभाग के अधीन तथा संबंध सेवा सदनों, छात्रावासों, शिशु गृहों, वृ□ एवं अशक्त गृहों, बाल गृहों का निरीक्षण तथा रख रखाव करना;

(3) किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने वाले किशोरों की पारिवारिक तथा चरित्र रिपोर्ट तैयार करना;

(4) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों तथा अम्बेडकर-एकलव्य-प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना;

(5) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की क्रियान्वित सुनिश्चित करना।

(6) अनुसूचित जाति और जनजाति के विरू□ होने वाले अत्याचारों तथा शोषण की शिकायत का निवारण तथा जाँच करना एवं तत्काल सहायता पहुँचाना।

(7) जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(8) विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के आवदेन पत्रों की प्राप्ति तथा स्वीकृति जारी करना।

(9) जिला स्तर पर कार्यरत अन्य विभागों, पंचायती राज संस्थाओं तथ स्वैच्छिक संस्थाओं से सहयोग लेना तथा समन्वय स्थापित करना।

(10) समाज कल्याण तथा समाज रक्षता से संबंधित विषयों पर जन शिक्षा तथा चेतना प्रसार के प्रयास करना तथा विभाग के कार्यक्रमों के बारे में जनसाधारण को सूचित करना।

(11) जिन जिलों में परिवीक्षा तथा कारागृह कल्याण अधिकारी हैं, वहाँ जेल में बन्द कैदियों की समस्या सामाधान तथा कल्याण कार्य करना।

(12) स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श देना तथा पर्यवेक्षण प्रदान करना।

(13) विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना।

समाज कल्याण कार्यक्रमों तथा योजनाओं का विवरण : बिहार सरकार के संबंध में :-

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत सभी 38 जिलों में प्रोग्राम कार्यालय संचालित किये जा रहे हैं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 38 जिलों में 544 बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य, कुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती / शिशुवर्ती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने का प्रावधान है।

राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) के अन्तर्गत राज्य के 12 जिलों—पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, प० चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका तथा मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिये सबला कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वालम्बी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है।

इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना राज्य के दो जिलों में—वैशाली एवं सहरसा में वर्ष 2011-12 से लागू किया गया है।

सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिये राज्य के 38 जिलों में सेमीनार का आयोजन, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी प्रखण्डों में महिला मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सांसकृतिक सशक्तीकरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सभी 38 जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

समेकितबालसंरक्षणयोजनाके अंतर्गत भी जिला स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के गठन का प्रावधान है। जिला स्तर पर इसके पदाधिकारी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई हैं, जिनकी स्थायी नियुक्ति की गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई में संस्थागत एवं गैर-संस्थागत कार्यक्रमों के लिये बाल संरक्षण पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है। जिला बाल संरक्षण समिति / इकाई (DCPS / DCPU) की स्थापना सभी 38 जिलों में की जा चुकी है। इनका मुख्य कार्य जिला स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करना है। अध्यक्ष, जिला परिषद की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित यह समिति समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है। संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी इस समिति के सह अध्यक्ष होते हैं। जिला स्तर पर बच्चों हेतु चल रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने में जिला बाल संरक्षण समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्य सकरार द्वारा प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गृहों एवं संस्थाओं का निरीक्षण कर संस्था की स्थिति में सुधार व्यवस्था एवं कल्याण के पुनरावलोकन हेतु जिला सलाहकार परिषद्-सह-जिला निरीक्षण समिति का गठन किया गया है।

किशोरन्यायपरिषद(JJB) के अन्तर्गत जिला स्तर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा संशाधित 2006 की धारा 4 के आलोक में प्रत्येक जिला में कम से कम एक परिषद के गठन करने का प्रावधान है, जो वर्तमान में सभी जिलों में गठित हें। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं जिसमें 1 महिला का होना अनिवार्य है। इसके प्रधान सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी होते है।

***बालकल्याणसमिति*(CWC)** किशोर न्याय अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 29 के आलोक में राज्य के प्रत्येक जिला बाल कल्याण समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है, जो सभी जिलों में गठित है। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत बच्चों की संस्थानिका देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यवेक्षण गृह (Observation Home) की भी व्यवस्था जिलों में की जा रही है। वर्तमान में बिहार के ग्यारह (11) जिलों में–पटना, भोजपुर, गया, छपरा, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मुज□फरपुर, मूंगेर, पूर्वी चम्पारण और अररिया में पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है।

निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों के लिये बाल गृह की स्थापना पटना जिले में दो (बाल गृह, अपना घर एवं बालिका ग्रह, निशांत) एवं बेगूसराय जिले में एक (बालगृह बसेरा) का संचालन किया जा रहा है।

कुछ स्वयंसेवी संस्थायें भी बालगृही का संचालन जिलों में करती हैं। इन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से सभी जिलों में बालगृह की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 16 बालगृह वर्तमान में स्वयं सेवी संस्थानों के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं।

खुलाआश्रयगृह (Open Shelter House) वैसे बच्चे जो निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन है, के स्थापना का भी प्रावधान है। गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से (11) ग्यारह खुला आश्रय गृह संचालन के लिये अनुमोदन प्राप्त है जिसमें 8 खुला आश्रय गृह मुज□फरपुर, सारण, मुंगेर, गया, पूर्णिया, पटना सिटी, पटना जंक्शन एवं भागलपुर में संचालित किया जा रहा है।

चाइल्डलाइनआपातसेवावर्तमान में 17 जिलों में पटना, गया, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मुज□फरपुर, भागलपुर, वैशाली, सहरसा, बक्सर, कटिहार, प० चंपारण, जमुई, कैमूर, समस्तीपुर एवं झरिया में उसकी सेवा संचालित है।

ओल्डऐजहोम(सहारा)का संचालन गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पाँच जिलों-पटना, गया, पूर्णिया, मुज□फरपुर और भागलपुर में किया जा रहा है।

बिहार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याा के लिये भी करीब-करीब सभी जिलों में जिलास्तरीय समिति का गठन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जा चुका है। बल्कि सभी अनुमंडलों में भी इसकी व्यवस्था की जा चुकी है।

मानसिक विकलांग बच्चों के लिये दिवाकालीन विद्यालयों 'चमन' का संचालन कई जिलों में किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत मानसिक मंदत्ता (Mental Retardation), स्वपरायणता (Austian) प्रभस्तिष्क अंगघात (Ceretral palsy) तथा उससे संबंधित अन्य विकलांगता (Multiple Risatrilities) से ग्रसित बच्चे को लाभ प्रदान किया जाता है। वर्तमान में पटना तथा गया जिला में 3 दिसंबर 2012 से विद्यालय प्रारंभ किया गया। अन्य जिलों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

दृष्टिहीन बालिकाओं के लिये विशेष आवासीय विद्यालय 'दृष्टि' का संचालन दरभंगा, बाँका, पश्चिमी चम्पारण, सुपौल, गया, किशनगंज एवं पटना जिला में तथा मूक बधिर बालिकाओं के लिये 'कोशिश' का संचालन पूर्वी चम्पारण एवं भागलपुर जिला में करने का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार मानसिक विकलांग महिलाओं / पुरुषों के लिये आश्रय गृह का संचालन पूर्णिया, नवादा, एवं दरभंगा में ***"आशियान"*** तथा पुरुषों के लिये आश्रय गृह ***"साकेत"***का संचालन मुज□फरपुर, मुंगेर और सहरसा जिला में किया जा रहा है। इसके लाभार्थी 18 वर्ष से उपर आयु वर्ग के मानसिक विकलांगजन होंगे।

इस प्रकार जिला स्तर पर कल्याण कार्यक्रमों तथा योजनाओं को निम्नलिखित रूप से भी दर्शाया जा सकता है —

(1) ***शैक्षणिकविकासकेकार्य:***- इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क छात्रावासीय सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये सभी जिलों में छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इन सभी छात्रावासों में आवास, भोजन, वस्त्रादी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की नि:शुल्क सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(2) ***आर्थिकविकाससेसंबंधितकार्य:***- भी प्रत्येक जिलों में चलाये जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण भी प्रदान किये जाते हैं।

(3) ***समाजउत्थानसेसंबंधितकार्य*** :-नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिये दलित वर्गों को विशेष संवैधानिक सहायता दी गयी है। अनेक जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं। अत्याचारों से पीड़ित इन वर्गों के व्यक्तियों को तुरन्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जाति के कार्यों में अग्रणी प्रयास करने के लिये ग्राम पंचायतों को तथा जिला स्तर पर भी कुछ राशि प्रदान की जाती है।

(4) ***समाजकल्याणसेसंबंधितकार्य:***-अनेक जिलों में अविवाहित माताओं के बच्चों तथा अन्य निराश्रित छोटे बच्चों की देखरेरख के लिये एक शिशु गृह की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। अनेक जिलों में सम्पेक्षण गृह स्थापित किये गये हैं और किशोर कल्याण बोर्ड भी कार्यरत है। ग्रामीण स्तर पर ये सेवायें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। पंचायत समिति स्तर पर एक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक द्वारा इस क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र निर्देशित किये जाते हैं। यूनिसेफ तथा नोराड तथा विश्व बैंक की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

(5) ***महिलाविकासकार्यक्रम:***-'साथिन' के नाम से प्रसि□ यह कार्यक्रम (WDP) सन् 1984 में यूनिसेफ की सहायता से कई जिलों में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज कल्याण के अनेक कार्यक्रम, जो महिला के विकास से संबंधित है, चलाये जाते हैं। जिला स्तर पर उपनिदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक के निर्देशन में ग्राम पंचायतों में महिला विकास केन्द्र तथा इसके मुख्य कार्यकर्त्ता 'साथिन' जनजागृति का कार्य करती है।

इस प्रकार जिला स्तर पर ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सपना साकार हो सके।

8.4 *स्थानीयस्तरपरसामाजिकप्रशासन*(Social Administration at Social Level)

सामाजिक प्रशासन की विषय वस्तु तथा कार्यक्षेत्र जनसाधारण विशेषकर असहाय तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों

से जुड़ा हुआ है। महानगरों की तंग तथा कच्ची बस्तियों से लेकर ठेठ गाँव तक सामाजिक कल्याण सेवाओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अत: जैसे विशाल भूभाग तथा विविधताओं से भरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण भी किया गया है ताकि आम आदमी तक राजकीय सेवायें सफलतापूर्वक पहुँचाई जा सके।

भारत में सामाजिक प्रशासन का स्थानीय या खण्ड स्तर तक प्रसार नहीं किया गया है। अधिकांश राज्यों में यह कार्य जिला समाज कल्याण विभाग, नगरीय संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ही संपन्न होता है। प्रत्येक राज्य में समाज कल्याण की गतिविधियों का स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्य निम्नलिखित प्रकार से होता है–

(1) समाज कल्याण विभाग की जिला स्तरीय प्रशासनिक संरचना द्वारा

(2) नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा

(3) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा

(1) ***जिलास्तरपरविभागीयसंरचना:***–पहले ही जिला स्तर पर विभागीय संरचना का जिक्र किया जा चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय संरचना गाँवों तक विस्तारित है। जिला स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (DPO) तथा महिला पर्यवेक्षक (LS) पदस्थापित हैं। गाँव स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, साथिन तथा अन्य परियोजनान्तर्गत सृजित पदधारक महिलायें कार्यरत होती हैं।

(2) ***नगरीयस्थानीयस्वशासनसंस्थायें:***– अनेक उतार चढ़ाव तथा परिवर्तन के बाद सन् 1992 में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस संस्थाओं को अब संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। 74 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में 18 विषय (कार्य) नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिये बताये गये हैं। इनमें समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा का कार्य सामाजिक प्रशासन से संबंधित है।

बड़े शहरों या महानगरों में स्थित नगर निगम के पास सामाजिक कल्याण के अनिवार्य कृत्व नहीं हैं, क्योंकि इन शहरों में राज्य समाज कल्याण विभाग तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से अनेक कार्यक्रम संचालित होते हैं। नगर निगम को सौंपे गये एच्छिक कार्यों में गरीब तथा अपाहिजों की सहायता करना भी सम्मिलित है। परन्तु ये ऐच्छिक कार्य करना निगम या नगरपालिका की क्षमता और इच्छा पर निर्भर करता है अत: इन संस्थाओं को कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है।

नगरपालिकाओं को निम्नलिखित ऐच्छिक कार्य सौंपे गये हैं जो समाज कलण से संबंधित हैं–

(1) धर्मशाला, विश्राम गृह, हाट तथा इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों का निर्माण और रखा रखाव।

(2) वृ□ लोगों के लिए विश्राम स्थलों की व्यवस्था।

(3) बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना और रख रखाव।

(4) निम्न आय समूहों के लिये लोगों के लिये आवास व्यवस्था।

(5) अनाथालय तथा स्त्रियों के लिय उ□ार गृहों का निर्माण और उनकी व्यवस्था।

(*3*) शीतकाल में निराश्रितों के लिये रैन बसेरों की व्यवस्था।

इन ऐच्छिक कार्यों के अतिरिक्त भवन, गली, पार्क निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सफाई, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि अनेक अनिवार्य कार्य करती है। ये कार्य अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक कल्याण की सेवायें हैं। सर्दियों के दिनों में बेसहारा लोगों के लिए रैनबसेरा (रात्रि विश्राम) की व्यवस्थायें प्राय: नगरीय स्थानीय संस्थायें करती रहती हैं।

(3) ***पंचायतीराजसंस्थायें:***-पंचायती राज संस्थाओं के आधुनिक स्वरूप की शुरूआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से हुई। यद्यपि भारतीय ग्रामीण व्यवस्था प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रही है, तथापि मध्य तथा ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। सन् 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा इन संस्थाओं को भी संवैधानिक मान्यता सहित सम्पूर्ण देश में एक समान स्वरूप प्राप्त हो गया। पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचे में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद ग्रामीण विकास तथा कल्याण के कार्यक्रम बनाते हैं तथा क्रियान्वित करते हैं।

74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से तीन विषय (महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण तथा कमजोर वर्गों का कल्याण) प्रत्यक्षत: सामाजिक प्रशासन से संबंधित हैं जो पंचायतों को हस्तान्तरित किये गये हैं। यद्यपि अन्य संबंधित विषय भी सामाजिक प्रशासन से संबंधित हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से।

समाज कल्याण तथा समाज रक्षा से संबंधित कृत्य जो इन संस्थाओं द्वारा निर्वाहित किये जाने अपेक्षित हैं वे निम्नलिखित हैं–

(1) ग्राम पंचायत द्वारा :-

(i) महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

(ii) विद्यालय, स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना।

(iii) आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण करना।

(iv) नि:शक्तजनों, मन्दुबु□ वालों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

(v) वृ□, नि:शक्तजन और विधवा पेंशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना।

(vi) अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के संबंध में जनजागृति को प्रोन्नत करना।

(vii) कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये किये गये कार्यों में भाग लेना।

(viii) धर्मशालाओं और ऐसी ही संस्थाओं का निर्माण और रख-रखाव करना।

(ix) शराब की दुकानों का विनियमन करना और

(x) जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण।

(2) पंचायत समिति द्वारा :-

(i) महिला और बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना।

(ii) सामेकित बाल विकास सेवा के माध्यम से विद्यालय, स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

(iii) महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को प्रोन्नत करना।

(iv) आर्थिक विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास समूह बनाना।

(v) नि:शक्तजनों, मन्दबु□ वालों और निरश्रित के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रम संचालित करना।

(vi) वृ□, नि:शक्तजन और विधवा पेंशन स्वीकृत करना।

(vii) अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण तथा उत्थान के प्रयास करना।

(viii) ऐसी जातियों और वर्गों का सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा करना।

(ix) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों, छात्रवृत्तियों, अन्य प्रोत्साहनों का वितरण करना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना।

(3) जिला परिषद द्वारा :-

(i) बेघर परिवारों की पहचान तथा आवास तथा आवास निर्माण करना।

(ii) निरक्षरता उन्मूलन और साधारण शिक्षा के लिये नर्सरी विद्यालयों, बालबाड़ियों, रात्रि विद्यालयों और पुस्तकालयों का संगठन करना।

(iii) अनुसूजित जातियों एवं जनजातियों या पिछड़े वर्गों को कुटीर और ग्रामीण उद्योग प्रशिक्षण तथा उनके द्वारा उत्पादित माल को विपणन सुविधा उपलब्ध करवाना।

(iv) अनुसूचित जातियों और जनजातियों और पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाएँ, बो□डग अनुदान और पुस्तकें देकर और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिये अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना।

(v) इन जातियों के उत्थान और विकास के लिये कल्याणकारी कार्यक्रमों का निर्माण तथा क्रियान्व्यन है।

(vi) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की योजना बनाना, क्रियान्वित करना तथा मूल्यांकन करना।

(vii) महिला एवं बाल कल्याण संगठन का पर्यवेक्षण करना।

(viii) विधवा, वृ□ और शारीरिक रूप से अशक्त निराश्रितों के लिये पेंशन और बेरोजगारों तथा अन्तरजातीय विवाह के दम्पत्तियों के लिये मत्तों की मंजूरी और वितरण की देखरेख करना।

(ix) अन्धविश्वास, जातिवाद, छूआछूत, नशाखोरी दहेज इत्यादि के विरु□ कार्यवाही करना।

(x) बंधुआ मजदूरों की पहचान तथा पुनर्वास करना।

(xi) भूमिहीन श्रमिकों को सौंपी गई भूमि के विकास में सहायता।

इस तरह राज्य समाज कल्याण विभाग अपने बहुत से कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी क्रियान्वित किया जाता है। पंचायत अधिनियम 1996 के द्वारा जनजातिय क्षेत्रों में पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये अधिक अधिकार दिये गये हैं। अत: सामाजिक प्रशासन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में पंचायती राजसंस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि जनसाधारण से प्रत्यक्ष संपर्क के कारण ये संस्थायें लोकतंत्र का आधार स्तंभ मानी जाती है।

8.5 *सारांश*(Conclusion)

भारत में सामाजिक प्रशासन के संगठन को धरातल तक ले जाया गया है। केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संगठन करके ही सबकुछ नहीं होता। स्थानीय स्तर पर ही इसका समुचित संगठन किया गया है। कारण यह है

कि सामाजिक प्रशासन की विषय वस्तु जनसाधारण है। अत: शहरों एव देहाती क्षेत्रों में तथा जिला, खण्ड एवं पंचायत स्तरों पर सामाजिक प्रशासन का संगठन किया गया है।

यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्तर पर दो प्रकार के संगठन उपलब्ध हैं। एक प्रकार का संगठन वह है जिसमें जिला स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारी समाज कल्याण विभाग एवं निदेशालय के अधीन रहकर कार्य करते हैं। दूसरे प्रकार का संगठन पंचायती राज की स्थापना के रूप में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की कार्यान्विति का परिणाम है। इस प्रकार के कुछ कार्यकर्त्ता जिला परिषद् एवं खण्ड स्तर पर कार्य करते हैं। समन्वयात्मक कार्यकर्ताओं में मुख्य है सेविका, ग्राम सेविका, ग्राम लक्ष्मी आदि होती हैं जो पहले राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अधीन कार्य करती थीं, किन्तु अब जिला एवं खण्ड संस्थाओं के अधीन कार्य करती हैं। स्थानीय स्तर का संगठन सभी राज्यों में एक जैसा नहीं हैं।

देखा जाये तो राज्य स्तर पर जो समाज कल्याण के कार्य चलाये जाते हैं, जिला स्तर पर भी उन्हीं कार्यों को संचालित किया जाता है। जैसे शिक्षा से संबंधित कार्य, आर्थिक विकास से संबंधित कार्य, सामाजिक उत्थान से संबंधित कार्य, समाज कल्याण से संबंधित कार्य तथा अन्य कार्य इत्यादि।

इन कार्यक्रमों में बिहार में मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री सायकिल योजना, हुनर योजना, महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना भी 38 जिलों में, मुख्यमंत्री बालिका सायकिल योजना 2007, वुमेन हेल्पलाइन (Woman Helpline) भी 38 जिलों में स्थापित किये गये हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2007-08 में शुरू की गई। महादलितों के लिये विकास मित्र की स्थापना, महादलित कौशल विकास योजना इत्यादि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनायें बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं जो बिहार के सभी जिलों में प्रभावी रूप से देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार सभी जिलों में वृ□ जननीति के अन्तर्गत माता, पिता तथा वृ□ जनों के भरण पोषण प्राधिकार की स्थापना की गई है।

इस प्रकार सामाजिक कल्याण के कार्य पूरे जिले में राज्य सरकार की सहायता से चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई जिलों में मानसिक विकलांग महिलाओं के लिये "आशियाना" और विकलांग पुरुषों के लिये "सांकेत" का संचालन किया जा रहा है। "दृष्टि" और "कोशिश" का भी प्रारंभ करने की प्रक्रिया बहुत सारे जिलों में चल रहा है।

इस प्रकार राज्य की योजनाओं को और नारी शस्कतीकरण के लिये प्रत्येक जिला में प्रयास जारी है।

8.6 *अभ्यासकेप्रश्न*(Questions for Exercise)

1. ***जिला स्तर पर सामाजिक प्रशासन की रुप रेखा का वर्णन करें।***

   Explain the social welfare organisation at District Level.

2. ***जिला स्तर पर सामाजिक कार्यों का वर्णन करें।***

   Write about the main works of Social Welfare at District Level.

3. ***जिला स्तर पर सामाजिक प्रशासन के गठन का वर्णन करें।***

   Write about the organisation at frame work at district level.

8.7 प्रस्तावितपाठ(Suggeted Readings)

1. सामाजिक प्रशासन (कल्याण प्रशासन) — डा० सुरेन्द्र कटारिया आर बी एस. ए. पब्लिशर्श, जयपुर
2. राज्य प्रशासन — डा० रवीन्द्र वर्मा कॉलेज बुक हाउस, जयपुर
3. **Social Welfare – S. L. Goel.**
   ADministrative – R.K. Jain
   Volume – 2
4. वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 — बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित बिहार सरकार ।

●